कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :सीआईडी/सीबी/पीआरसी/परिपत्र/(35)/2012/6246–95 दिनांक : 23.07.2012

परिपत्र

विषय :– सम्मन/वारन्ट की तामील के सम्बन्ध में।

प्रायः यह देखने में आया है कि प्रकरणों के विचारण में विलम्ब होने के कारणों में से एक कारण यह भी है कि पुलिस द्वारा न्यायालयों से जारी सम्मन/वारन्ट की तामील समय पर नहीं कराई जाती। इस कारण से न्यायालय में प्रकरण लम्बे समय तक निस्तारित नहीं हो पाते हैं तथा अभियोजन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सम्मन/वारन्ट की तामील तत्परता से करवाना इस विभाग का अत्यन्त महत्वपूर्ण कर्तव्य ही नहीं वरन् वैधानिक जिम्मेदारी भी है। अतः तामील के स्तर में सुधार लाने हेतु पूर्व निर्देशों के अतिक्रमण में निम्नांकित निर्देश दिये जाते हैं :–

1. पुलिस थाने पर प्राप्त होने वाले प्रत्येक सम्मन/वारन्ट को अविलम्ब निर्धारित पंजिका में अंकित जाए।

2. पुलिस थाने पर एक तारीख पेशीवार सम्मन/जमानती वारन्ट/गिरफ्तारी वारन्ट की पंजिका का संधारण किया जाए। इस पंजिका पेशी की तारीख के सम्मुख इनकी प्राप्ति संख्या का उल्लेख किया जाए तथा तारीख पेशी से तीन दिन पूर्व ही सम्बन्धित बीट पुलिसकर्मी से सम्मन/वारन्ट प्राप्त करना प्रारम्भ किया जाए, ताकि निर्धारित तिथि तक कोई भी सम्मन/वारन्ट/न्यायालय में प्रेषित किए जाने से शेष नहीं रह सके।

3. तामील हेतु अन्य थानों को भेजे जाने वाले सम्मन/वारन्ट थाने पर प्राप्त होते ही सम्बन्धित थानों को प्रेषित कर दिए जाए।

4. पुलिस थानों पर तैनात द्वितीय अधिकारी को न्यायालय से प्राप्त सम्मन/वारन्ट की तामील हेतु प्रभारी बनाया जाता है तथा मुख्य लेखक (हेड मोहर्रिर) मालखाना को अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है। वे न्यायालय से प्राप्त सम्मन/वारन्ट का

रजिस्टर व तारीख पेशीवार पंजिका में इन्द्राज, तामील हेतु सम्बन्धित बीट पुलिसकर्मी को अविलम्ब दिया जाना तथा तारीख पेशी से पूर्व उक्त सम्मन/वारन्ट को न्यायालय में रिपोर्ट के प्रस्तुत कराने हेतु उत्तरदायी होंगे।

5. सम्मन/वारन्ट को एक सप्ताह अथवा निर्धारित तिथि, दोनों में से जो पहले हो, तक तामील करवाने हेतु सम्बन्धित बीट पुलिसकर्मी को पाबन्द करा जाए।

6. यदि सम्मन/वारन्ट को एक सप्ताह पश्चात् अदम तामील प्रस्तुत किया जाए तो उसे बीट प्रभारी को तामील हेतु दिया जाए।

7. तामील करवाये गये सम्मन/वारन्ट तारीख पेशी की प्रतीक्षा किए बिना अविलम्ब न्यायालय को प्रेषित कर दिया जाए।

8. अदम तामील सम्मन/वारन्ट तामील कुनिन्दा द्वारा स्वयं थानाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। थानाधिकारी के हस्ताक्षर से ही न्यायालय को प्रेषित करने से पूर्व थानाधिकारी द्वारा तामील कुनिन्दा से तामील नहीं होने का कारण पूछा जाए व संतोषजनक उतर नहीं मिलने पर उसे चेतावनी दी जाए तथा तदोपरान्त भी सुधार नहीं होने पर वृत्ताधिकारी के ध्यान में लाया जाए।

9. यदि साक्षी का पता बदल गया हो तो नया पता मालूम कर न्यायालय व अभियोजक को सूचित किया जाए।

10. जमानत पर रिहा किए गए व्यक्तियों के सम्मन/वारन्ट प्राप्त होने पर उनके जामिनों व जामिनों की पहचान करने वाले व्यक्ति की जानकारी न्यायालय से प्राप्त की जाए। जामिन द्वारा वांछित व्यक्ति को उपलब्ध न कराए जाने पर उसके विरूद्ध धारा 446 द.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्रवाई हेतु न्यायालय को निवेदन किया जाए। व्यावसायिक रूप से जमानत देने वाले व्यक्तियों की सूचना सभी न्यायालयों को उपलब्ध कराई जाए व उनकी हैसियत की तस्दीक भी कराई जाए। यदि जामिन का नाम व पता गलत पाया जाए तो उसकी पहचान करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसी गलत पहचान करने वाले

व्यक्ति की पूर्ण सूचना न्यायालय को प्रेषित की जाए व प्रचार माध्यमों से आमजन को भी अवगत करवाया जाए।

11. सम्मन/वारन्ट का मासिक गोश्वारा प्रत्येक पुलिस कर्मीवार तैयार की जाए। अधिक तामील करवाने वाले पुलिसकर्मी को पुरस्कृत किया जाए व असंतोषजनक तामील कराए जाने वाले पुलिस कर्मी को चेतावनी दी जाए। तदोपरान्त सुधार न होने पर ऐसे पुलिस कर्मी का लाईन में पदस्थापन करने व उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाई पर विचार किया जाए।

12. प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए जो जिले के विभिन्न थानों में प्राप्त होने वाले सम्मन/वारन्ट के सम्बन्ध में हर माह थाने के तामीली रजिस्टर का अवलोकन करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे की न्यायालय से प्राप्त सम्मन/वारन्ट का रजिस्टर में सही इन्द्राज हो रहा है या नहीं तथा सम्बन्धित पुलिसकर्मियों द्वारा समय पर तामील करवाकर ।२५।८ न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है या नहीं? तामील में आने वाली कठिनाईयों का स्वयं के स्तर पर निस्तारण करें। न्यायालय व अभियोजन को नोडल अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में सूचित किया जाए।

13. फास्ट ट्रेक न्यायालयों से प्राप्त सम्मन/वारन्ट की तामील विशेष तौर पर प्राथमिकता के आधार पर करवाई जाए।

14. जिला पुलिस अधीक्षक, प्रति माह अभियोजन अधिकारियों से बार–बार अदम तामील रहे सम्मन/वारन्ट की सूची प्राप्त कर, उनकी तामील सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें।

15. पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट व सत्र न्यायाधीश के साथ होने वाली समन्वय समिति की बैठकों के दौरान इस बात से न्यायिक अधिकारियों को अवगत कराएँ कि न्यायालय में उपस्थित होने वाले पुलिस अधिकारियों की साक्ष्य निर्धारित तिथियों पर आवश्यक रूप से ली जाएं ताकि उन्हें बार–बार तारीख पेशी पर नहीं आना पड़े और समय व सरकारी व्यय का अपव्यय रोका जा सके।

16. जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप अधीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारी थानों में विजिट के समय सम्मन/वारन्ट रजिस्टर तथा तारीख पेशीवार पंजिका का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तथा किसी भी माह में सम्मन की तामील 95 प्रतिशत, जमानतीय वारन्ट की तामील 85 प्रतिशत व अजमानतीय वारन्ट की तामील 70 प्रतिशत से कम पाये जाने की स्थिति में तामील नहीं होने के कारणों की जाँच की जाए व लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक प्रशासनिक/ विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

17. रेंज स्तर पर महानिरीक्षक पुलिस, जिलों में नियुक्त नोडल अधिकारी के साथ बैठक कर सम्मन/वारन्ट की तामील के सम्बन्ध में तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायालय से प्राप्त सम्मन/वारन्ट की तामील समय पर करवाइ जा रही है या नहीं तथा कोताही बरतने वाले अधिकारी/ पुलिसकर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई अमल में लाऐंगे।

18. पुलिस मुख्यालय से प्राप्त सम्मन/वारन्ट की तामील को गंभीरता से लिया जाकर आवश्यक रूप से उसकी तामील करवाई जाए व तारीख पेशी से पूर्व उसकी सूचना न्यायालय को भेजी जाए।

19. पुलिस अधिकारी/पुलिसकर्मी के जिले से अन्यत्र स्थानांतरण की दशा में उसके नवीन पदस्थापन पर तामील करवाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला कार्यालय की होगी। पुलिस मुख्यालय को मात्र उन अधिकारियों/कर्मियों के ही सम्मन/वारन्ट तामील हेतु भेजे जाएँगे जो तत्समय पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित हों।

20. पुलिस अधिकारी स्वयं की साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर सरकारी कार्य में व्यस्त बताते हुए अग्रिम तारीख पेशी हेतु वितन्तु संदेश द्वारा न्यायालय व सम्बन्धित लोक अभियोजक को सूचित कर देते हैं। यह व्यवस्था तुरन्त बन्द की जाए। केवल बहुत ही विषम परिस्थितियों में अग्रिम पेशी हेतु नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से निवेदन किया जाए।

21. न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थिति होने के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारी के द्वारा अनुमति मांगे जाने पर तुरन्त स्वीकृति जारी की जानी चाहिए, जिससे उन्हें समय पर न्यायालय में उपस्थित होने के लिए मानसिक तैयारी का भी समय मिल सके। विषम कानून–व्यवस्था/अनुसंधान की स्थिति में अनुमति जारी नहीं की जाती है तो न्यायालय को स्पष्ट पत्र समय पर प्रेषित करना भी जिला पुलिस अधीक्षक की ही जिम्मेदारी है।

22. वृत्ताधिकारियों/थानाधिकारियों को भी इस बाबत निर्देश जारी करें कि वे अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को भी साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित होने की स्वीकृति समय पर जारी करें।

समस्त पुलिस अधिकारीगण/कर्मचारीगण को निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त आदेशों का कठोरता से पालना की जाए।

(कपिल गर्ग)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि :–

1. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, रेंज, राजस्थान मय जीआरपी एवं पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
2. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर एवं पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।
3. रक्षित पत्रावली/पुलिस वेबसाईट।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर